आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० रिविजन वाद संख्या–297 / 22

विनोद शंकर सिंह उर्फ विनोद सिंह

बनाम्

बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
11.05.2023	यह पुनरीक्षणवाद समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण के वाद संख्या–95 / 2017 में दिनांक–03.09.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने वादी के जन वितरण प्रणाली हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल द्वारा रद्द किये जाने संबंधी आदेश को संपुष्ट किये जाने का आदेश पारित किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुनने से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–03.09.2019 को आदेश पारित किया गया है जबकि वादी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक–21.11.2022 को वाद दायर किया गया है। अर्थात वादी द्वारा लगभग 03 वर्ष विलंब से वाद वायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–21.11.2022 को वाद दायर किया गया परन्तु वाद के साथ Condonation Petition दाखिल नहीं किया गया। आज दिनांक–11.05.2023 को Condonation Petition दाखिल	

WEB COPY NOT OFFICIAL

किया गया है । उक्त आवेदन में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आदेश पारित होने के कुछ ही दिनों बाद वादी को कोरोना हो गया जिस कारण आवेदक महीनों तक बीमार रहे। वादी जब ठीक हुए तो अपने अधिवक्ता से संपर्क कर वाद दायर करवाए है।

उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा अपने विलंब को क्षांत करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि दिनांक–03.09.2022 को निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद वादी को कब कोरोना हुआ एवं कितने दिन बीमार रहे इसके संबंध में न तो अपने विलंब क्षांत हेतु दिये गये आवेदन में बताया गया है और न ही इस का कोई साक्ष्य उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने मे हुए विलंब को क्षांत करने का कोई साक्ष्य आधारित तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वाद दायर करने के समय विलंब क्षांत करने हेतु आवेदन ही दिया गया था उनके द्वारा तो बाद में दिनांक–11.05.2023 को विलंब क्षांत करने हेतु आवेदन दिया गया है। ऐसी स्थिति मे पुनरीक्षण वाद दायर करने मे हुए विलंब का कोई संतोषप्रद जबाब/ठोस साक्ष्य वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नही दिया जा सका।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को उपरोक्त कारणो से कालबाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL